राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1543 दिनांक 7/7/17

प्रेषित :—

तहसीलदार सेड़वा

विषय :— राजस्व आवेदन सं. 1784 / 2015 अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. अनवान जगराम के का.मु.वगैरा बनाम भगा वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.17 की प्रमाणित प्रति व सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 1784/2015

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण – 1. जगराम पुत्र पेलादराम के का.मु.:–
1/1.गंगाराम 1/2.भंवरराराम 1/3.रमेश 1/4.पप्पूराम
पि.जगराम 1/5.केसी पत्नि जगराम
2.आदू 3.दमाराम 4.पुरखाराम पि.पेलादराम 5.जोराराम 6.निम्बाराम
पि.देदाराम 7.तीजों पत्नि देदाराम, जातियान जाट
निवासी कितनोरिया, तहसील सेड़वा

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. भगा पुत्र केसरा जाति सुथार, निवासी पीगलपुरा, तहसील सेड़वा
2.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री पवन धारीवाल
विप्रार्थीगण वकील – श्री महेन्द्र रामावत

निर्णय

दिनांक :– 30.06.2017

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा पीगलपुरा, पटवार क्षेत्र बामणोर , तहसील सेड़वा में खसरा सं. 239/192 रकबा 50.00 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढ़ा सेढ़ विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी का खेत खसरा सं. 237/192 रकबा 142.19 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी के खेत के मध्य राजस्व कर्मचारियों ने विप्रार्थी सं. 1 से मिलावट कर गलत तौर पर तरमीम कर दी। प्रार्थीगण का खेत समचोरस आयताकार है जबकि मौके पर तरमीम त्रिकोण कर दी । प्रार्थीगण की ढाणिया व टांके इत्यादि विप्रार्थी सं. 1 के खेत में चले गये है। प्रार्थीगण का वर्तमान कब्जा काश्त आवेदन के साथ सलंग्न परिशिष्ट "अ" बरंग लाल में दर्शाए अनुसार है। परिशिष्ट में दर्शाये गए बरंग काला की भूमि पर विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। इसी अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की तरमीम राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का को करनी थी किंतु पटवारी हल्का ने जहां प्रार्थीगण का कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थी सं. 1 की तरमीम कर दी जिसे प्रार्थीगण शुद्ध करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र रामावत ने पूर्व में वकालतनामा पेश किया । जो पत्रावली शामिल किया गया। तहसीलदार सेड़वा से उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प केकड़ में दिनांक 30.06.2017 को पेश हुई। प्रार्थी सं. 1/1 गंगाराम , प्रार्थी सं. 2 आदूराम उपस्थित। उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार किया जाकर मौजा पीगलपुरा, पटवार क्षेत्र बामणोर , तहसील सेड़वा में खसरा सं. 239/192 रकबा 50.00 बीघा एवं खेत खसरा सं. 237/192 रकबा 142.19 बीघा तरमीम तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं परिशिष्ट "ब" नक्शानुसार तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट व परिशिष्ट "ब" नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प केकड़ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन